न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– सोहनलाल, (आई.ए.एस) प्रशिक्षु

राजस्व वाद संख्या :– 75 / 2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
पुनाराम गोदपुत्र पुराराम जाति सीरवी (चोयल) निवासी निवासी बेरा चोयलो का उगणिया, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		1. हिम्मताराम पुत्र हुकमाराम 2. गुदड़राम पुत्र हिम्मताराम जातियान सीरवी (राठौड़) निवासीगण बेरा बिचला भेवरिया शिवनगरी स्कूल के पास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मोहनलाल सीरवी अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :–** 29.03.2022

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3760 रकबा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 3761 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आई हुई है। जो वादी की खातेदारी सुदा व कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि है। उक्त दोनो खसरान की भूमि के उतरी दिशा में वादी की पुरानी माठ आई हुई है। जो दोनो खसरान की भूमि का हिस्सा व भाग है। उक्त दोनो खसरान की दक्षिण दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3730 व 3730/5 आई हुई है। उतरी दिशा में स्थित उक्त दोनो खसरान की पुरानी माठ को वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी. से अंकित व लाल स्याही से दर्शित किया है तथा माठ को वादग्रस्त माठ से संबोधित किया है। दिनांक 22.07.2019 को प्रतिवादीगण अपने साथ लाये कुदाले, लोहे का लगीया, फावड़ा इत्यादि से वादग्रस्त माठ को खुर्द बुर्द कर रहे थे तथा माठ को नुकसान पहुचा रहे थे तथा वादग्रस्त माठ में स्थित छोटे–छोटे पत्थरों को बाहर निकाल रहे थे। तब वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया तो भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अवैध कार्य को नही रोका। प्रतिवादीगण वादग्रस्त माठ को गैर कानूनी तरीके से खुर्द बुर्द कर अपनी खातेदारी भूमि में सम्मिलित करने पर आमादा है। इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना व पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है।

अन्त में निवेदन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित फरमाई जाकर खसरा संख्या 3760 व 3761 की उतरी दिशा में स्थित वादी की पुरानी माठ मार्क ए.बी. को प्रतिवादीगण न तो स्वयं खुर्द बुर्द करे व न ही अपने परिवार वालों से एवं रिश्तेदारों से करावे तथा वादी को माठ का उपयोग, उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व अड़चन नही करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरावाईज जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रतिवादीगण को महज तंग परेशान करने की नियत से व प्रतिवादीगण की भूमि को जबरन हड़प करने की नियत से प्रतिवादीगण की खातेदारी की जमीन की दक्षिणी माठ को तोड़कर अतिक्रमण करते हुए प्रतिवादीगण के खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

नम्बर 3730 में जबरन नई माठ व तारबन्दी करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने अपने हद में तारबन्दी की है, वादी ने वाद बिना आधार के पेश किया है। यदि प्रतिवादीगण माठ को खुर्द बुर्द या खोदते तो वादी पुलिस कार्यवाही करता, वादी ने कोई पुलिस कार्यवाही नही की है। वादी का कोई वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैदा नही होता है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3760 रकबा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 3761 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की उतरी दिशा में स्थित माठ जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए.बी. से अंकित किया गया के सम्बंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. अनुतोष

तनकी संख्या 1 साबित करने का भार वादी पर था, वादी ने तनकी संख्या 1 को साबित करने के सम्बंध में मौखिक साक्ष्य के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू 1 पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा संख्या 3760, 3761 की जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श 1, खसरा संख्या 3730 की जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श 2, खसरा संख्या 3730, 3760, 3761 के राजस्व नक्शे की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श 3, वादग्रस्त माठ के फोटोग्राफ 1 से 6 प्रदर्श 4 से 9, हल्का पटवारी व आर.आई. बिलाड़ा द्वारा दिनांक 24.10.2019 को वादग्रस्त माठ के सम्बंध में मौका देखकर तैयार की गयी फर्द मौका कमीश्नर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादी से जिरह की गयी तथा जिरह में भी वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य की पुष्टि की तथा जिरह में भी वादी अपनी मौखिक साक्ष्य पर कायम रहा। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के खण्डन में न तो अपनी मौखिक साक्ष्य पेश की व न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की तथा प्रतिवादीगण को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य हेतु प्रर्याप्त अवसर देने के बावजुद भी साक्ष्य पेश नही करने पर दिनांक 01.04.2021 को प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गयी तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। बहस में भी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी बहस हेतु उपस्थित नही होने पर वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा बताया कि तनकी संख्या 1 वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है।

वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 10 हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3760 व 3761 की उतरी दिशा में स्थित वादी की पुरानी माठ को खुर्द बुर्द करना बताया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण वादी उपरोक्त दोनो खसरान की पुरानी माठ को खुर्द बुर्द कर रहे है, इसके अलावा वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से भी उक्त तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में साबित है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा — seal)

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय होने के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 3760 रकबा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 3761 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की उतरी दिशा में स्थित वादी की पुरानी माठ मार्क ए.बी. को न तो स्वयं खुर्द बुर्द करे व न ही अन्य किसी से करावे तथा वादी को उक्त माठ का उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व अड़चन प्रतिवादीगण न स्वयं करे व न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी :– सोहन लाल, (आई.ए.एस) प्रशिक्षु

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
पुनाराम गोदपुत्र पुराराम जाति सीरवी (चोयल) निवासी निवासी बेरा चोयलो का उगणिया, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		1. हिम्मताराम पुत्र हुकमाराम 2. गुदड़राम पुत्र हिम्मताराम ज्ञातियान सीरवी (राठौड़) निवासीगण बेरा बिचला भेवरिया शिवनगरी स्कूल के पास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 75/2019

निर्णय दिनांक :– 29.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादीगण की ओर से श्री मोहनलाल सीरवी अधिवक्ता मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 3760 रकबा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 3761 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की उतरी दिशा में स्थित वादी की पुरानी माठ मार्क ए.बी. को न तो स्वयं खुर्द बुर्द करे व न ही अन्य किसी से करावे तथा वादी को उक्त माठ का उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व अड़चन प्रतिवादीगण न स्वयं करे व न किसी अन्य से करावे।

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख मे तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.03.2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा